पत्र संख्या-स्था-1-अवकाश नकदीकरण / 3941 / वाणिज्य कर.

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक :: 11 जनवरी, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त होने वाले / मृत सरकारी कार्मिकों के अर्जित अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि को देय अवशेष उपार्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिन) के समतुल्य नकद धनराशि की भुगतान की सुविधा शासनादेश संख्या- स0-4-1002/दस-200/77 दिनांक 02-06-1978 सपठित शासनादेश संख्या-सं0-4-68/दस -83-200/77 दिनांक 25-07-1983, शासनादेश संख्या-04-392/दस-99-203/86 दिनांक 04-07-1999 के द्वारा अनुमन्य की गयी है। शासन का यह भी निर्देश है कि सेवानिवृत्त / मृत कार्मिको के सेवानैवृत्तिक देयो आदि का भुगतान सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि को यथा सम्भव कर दिया जाए।

उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त कार्मिको के अवकाश नकदीकरण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सेवानिवृत्ति के पश्चात काफी विलम्ब से मुख्यालय प्रेषित किये जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण पर कई मामलों में यह पाया जाता है कि सेवापुस्तिका में उपलब्ध अर्जित अवकाश लेखा सेवानिवृत्ति के दिनॉक तक पूर्ण नही है अथवा सेवांए सत्यापित नही है। कतिपय मामलों में सेवा सत्यापन एवं वेतन निर्धारण आदेशों का अंकन सेवापुस्तिका में नही पाया जाता है, जिन्हें पूर्ण कराने हेतु अनावश्यक रुप से पत्राचार करना पड़ता है और इस कारण अवकाश नकदीकरण स्वीकृत किये जाने में विलम्ब होता है। कुछ मामलों में वेतन निर्धारण आदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते है जिन्हें संशोधित कराने हेतु प्रस्ताव वापस करने पड़ते हैं और साथ ही त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के आधार पर अधिक भुगतान हुई धनराशि की वसूली / समायोजन सेवानैवृत्तिक देयको से करना पड़ता है। उक्त प्रक्रिया में एक तो अवकाश नकदीकरण स्वीकृत किये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा दूसरे, कतिपय मामलों में विलम्ब के कारण ब्याज देयता आदि की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्व में भी शासन / मुख्यालय स्तर से आवश्यक निर्देश जारी किये गए है किन्तु उनका अनुपालन फील्ड स्तर पर कड़ाई से नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में दिये गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए निम्न बिन्दुओं सहित प्रस्ताव जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से मुख्यालय भेजे जाए। जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किये जाने के पूर्व अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रस्ताव नियमानुसार एवं पूर्ण है।

1. कार्मिक के सेवानिवृत्त होने के कम से कम एक वर्ष पूर्व उनके वेतन निर्धारण आदि का परीक्षण स्थानीय वरिष्ठ लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षक से करा लिया जाए। यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसका तत्काल सुधार/ आवश्यक संशोधन कर लिया जाए तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के आधार पर यदि अधिक भुगतान पाया जाता है तो उसकी वसूली / समायोजन कार्मिक के सेवाकाल में ही नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया जाय ताकि सेवानिवृत्त होने के उपरान्त वेतन निर्धारण में त्रुटि / अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न न हो।

----2

2- अवकाश नकदीकरण प्रस्ताव सेवानिवृत्ति से कम से कम एक माह पूर्व मुख्यालय प्रेषित किये जाए तथा प्रस्ताव के साथ निम्न प्रमाण पत्र भी संलग्न किये जाए :-

(क) सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि आगामी कार्यावधि में उनके द्वारा कोई उपार्जित अवकाश नही लिया जाएगा ।

(ख) इस आशय का प्रमाण पत्र कि कार्मिक के विरुद्ध चोरी, गबन, भ्रष्टाचार जाँच, ई()ओ()डब्लू() जाँच , आर()टी()आई() , अनुशासनिक कार्यवाही तथा वसूली आदि का कोई प्रकरण लम्बित / प्रस्तावित नही है ।

(ग) इस आशय का प्रमाण पत्र कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के वेतन निर्धारण की जाँच स्थानीय वरिष्ठ लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षक से करा लिया गया है तथा वेतन निर्धारण में त्रुटि / अधिक भुगतान की स्थिति नहीं पाई गई।

(घ) इस आशय का प्रमाण पत्र कि सेवापुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सत्यापित है ।

(च) अवकाश लेखा ( 11सी ) का सत्यापित विवरण प्रस्ताव के साथ अलग से संलग्न किया जाये ।

कृपया उक्त निर्देशों के साथ साथ पूर्व में दिये गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(रघुबीर)
एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

पृ0प0सं0 वि दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ ।
3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेट कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त पटल सहायक (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।